

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

संख्या 19(3)राज.-6/2002/1


जयपुर, दिनांक :- 2/2/11

राजस्थान भू-सूचना केंद्र,
जयपुर

परिपत्र

विषय :- निजी विद्यालय की भूमि का संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम 2(बी)के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी परिपत्र क्रमांक 19(3) राज-6/2002/3 दिनांक 15.02.05 को वापिस लेने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र जिसके द्वारा सोसायटीज और ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं जिनको आयकर अधिनियम के तहत अलाभकारी संस्था होने के आधार पर आयकर से छूट का प्रमाण-पत्र जारी किया हुआ है, के द्वारा भूमि रूपान्तरण कराने पर वाणिज्यिक दर के बजाय जनोपयोगी उद्देशीय दर लेने के संबंध में दिनांक 15.02.2005 को जारी किया गया था, को निर्देशानुसार एतद्वारा प्रत्याहृत (withdraw) किया जाता है।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. शासन उप सचिव, वित्त (कर) विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक प. (83)वित्त/कर/2010 दिनांक 21.10.2010 के संदर्भ में
2. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर
3. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व


उप शासन सचिव